

पूरुणिया विश्वविद्यालय, पूरुणियां

आदेश

पूरुणिया विश्वविद्यालय, पूरुणिया के आदेशानुसार सभी अभिभावकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि उनके बच्चों की उपस्थिति 75% है, के हेतु

शपथ पत्र

मैं.....पिता/माता/अभिभावक.....
..... Semester-I प्रतिष्ठा का विषय.....
क्रमांक.....में अध्ययनरत इसके द्वारा वचन देता/देती हूं।

1. राज्यपाल सचिवालय, बिहार सरकार राजभवन, पटना के पत्रांक BSU (Directive)-43/2023-1338 दिनांक -23/08/2023 के आलोक में 75% उपस्थित की अनिवार्यता निर्धारित की गई है।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं के लिए महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार के विभिन्न लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी कक्षा में 75% उपस्थित आवश्यक है।
3. सभी विद्यार्थियों अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा द्वारा आयोजित स्नातक / स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में वैसे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिनकी कक्षा के लिए आयोजित कक्षाओं में शिक्षण शुरू करने के दिन से इस महीने की पहली तारीख तक जिसमें महाविद्यालय की परीक्षा शुरू होती है उसे अवधि से कम से कम 75% उपस्थित हो।
4. मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरी पुत्र/पुत्री की उपस्थिति ऊपर निर्दिष्ट मानक से कम है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सरकार के द्वारा कोई लाभ भी नहीं दिया जाएगा, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

अभिभावक का हस्ताक्षर एवं

पता _____

छात्र/छात्रा का

नाम _____

पिता/माता का मोबाइल नं. _____

छात्र का मोबाइल नं. _____

छात्र का हस्ताक्षर